छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2022 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार,दिनांक 22 मार्च, 2022 (चैत्र 1, 1944)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2021–22 के बजट की तृतीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे।

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का चतुर्दश वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम अरईबंद के कृषकों की कृषि भूमि तथा शासकीय सुखरा नाले को भू–माफिया द्वारा समतल किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य, बिलासपुर में अरपा नदी में अपशिष्ठ जल निकासी के लिये नाला निर्माण नहीं होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, सदस्य, हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी चौक, भिलाई की जमीन के विक्रय में अनियमितता किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, बस्तर क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, सदस्य, बोधघाट परियोजना में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. रमन सिंह, श्री नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में कुपोषण से गरीब और आदिवासी बच्चों की मौतें होने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(7) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को आवास नहीं मिल पाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ जिले में औद्योगिक ईकाइयों द्वारा जलकर का भुगतान नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण पूर्ण नहीं होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जांजगीर–चाम्पा जिले की नगर पालिका जांजगीर–नैला एवं अकलतरा नगर पालिका में जल आवर्धन योजना का लाभ आमजन को नहीं मिलने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में हाथियों के हमले से जन–धन की हानि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों की मौत होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में नवजात शिशुओं की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में ठगी के मामलों में निरंतर वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट की घटना घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, खालसा स्कूल के सामने ऑक्सीज़ोन के निर्माण हेतु तोड़ी गई दुकानों के दुकानदारों का व्यवस्थापन नहीं किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) श्री संतराम नेताम, सदस्य, प्रदेश में अमानक पोविडोन आयोडीन दवा (एंटीसेप्टिक दवा) की खरीदी किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री संतराम नेताम, सदस्य, कांकेर जिले में सरस्वती साइकिल योजना के तहत् छात्राओं को साइकिल का वितरण नहीं किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में अमानक वर्मी कंपोस्ट व सुपर कंपोस्ट की खरीदी किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जांजगीर–चाम्पा जिले के ग्राम मड़वा, तेन्दूभांठा में स्थापित मड़वा पॉवर प्लांट के आंदोलनरत कर्मचारियों पर लाठी चार्ज एवं फर्जी मुकदमे दर्ज किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

(20) श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में रबी फसल क्षति की मुआवजा राशि किसानों के खातों में नहीं डाले जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य, जांजगीर–चाम्पा जिला मुख्यालय में सड़क निर्माण कार्य से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. रमन सिंह, श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत हितग्राहियों को कम चांवल दिये जाने की ओर खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) डॉ. के. के. ध्रुव, सदस्य, जांजगीर–चाम्पा जिले के ग्राम बनारी में मेसर्स श्याम एग्रो एवं एनर्जी द्वारा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य, कोरबा जिले की नगर पंचायत छुरीकला अंतर्गत गौ तस्करों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, बलौदाबाजार–भाटापारा जिला अंतर्गत आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम / छात्रावास भवनों के किराये का भुगतान नहीं किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(26) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य, नगरी टाइगर रिजर्व फारेस्ट में बसे सैकड़ों ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में धार्मिक संस्थाओं व धार्मिक प्रतीक चिन्ह को अपमानित करने की घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(28) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में अमानक बीज की खरीदी किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(29) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, कोरबा जिले में संचालित बालको संयंत्र की थाईसन कम्पनी में कार्यरत एक श्रमिक की सुरक्षा के अभाव में मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(30) श्री रामकुमार यादव, सदस्य, मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा खनिज साधन विभाग के निर्देशों का पालन नहीं कर बिना मुआवजा दिये कृषकों की भूमि पर खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(31) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जांजगीर–चाम्पा जिले के धान खरीदी केन्द्रों में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(32) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, अजय चंद्राकर, सदस्य, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितता किये जाने ओर खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 4

(33) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के तिल्दा ब्लॉक के ग्राम बिलाड़ी में गल्फ ऑईल कार्पोरेशन कम्पनी द्वारा बारूद का भंडारण किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(34) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, शासकीय नरहरदेव हायर सेकेण्डरी स्कूल ऑफ एक्सलेंस, कांकेर के दसवीं के छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(35) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ जिले में स्थापित उद्योगों से वायु प्रदूषण होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(36) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर–चाम्पा जिले के ग्राम तागा में पॉवरग्रिड कार्पोरेशन द्वारा दूषित पानी नाले में प्रवाहित करने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(37) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, नवा रायपुर परियोजना हेतु राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की पुनर्वास योजना अंतर्गत अनुबंधों के आधार पर तय की गई शर्तों को पूरा नहीं किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(38) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर–चाम्पा जिले के ग्राम उच्चपिंडा में स्थापित आर.के.एम. पॉवर प्लांट द्वारा राखड़ डम्प किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(39) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(40) श्री अजय चंद्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों का जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं संवर्धन नहीं किये जाने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(41) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ जिले में स्थित केलो परियोजना की मुख्य नहर में गुणवत्ताहीन लाइनिंग और प्रोटेक्शन वॉल निर्माण किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(42) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(43) डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य, महासमुंद जिले के प्रभारी कृषि संचालक एवं सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा शासन की योजनाओं में बिना कार्य कराये ही राशि का आहरण किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 5

(44) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा राजधानी रायपुर के टिकरापारा क्षेत्र में सरजूबांधा तालाब को लीज पर देने हेतु निविदा में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(45) सर्वश्री ननकीराम कंवर, धरमलाल कौशिक, नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाईयों की कमी होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(46) सर्वश्री धरमलाल कौशिक, रजनीश कुमार सिंह, सौरभ सिंह, सदस्य, जिला कोरिया की ग्राम पंचायत नेरूआ के सचिव द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(47) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, न्यू विस्टा सीमेंट संयंत्र (ईमामी) के 33 के.व्ही. लाईन शिफ्टिंग का स्कीम 35 के तहत् कार्यादेश प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा बिना अनुमति के लाईन शिफ्टिंग कार्य किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(48) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(49) श्री संतराम नेताम, सदस्य, सुकमा वन मंडल दोरनापाल क्षेत्र में कैम्पा मद से कराये जा रहे कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(50) श्री आशीष कुमार छाबड़ा, सदस्य, जिला चिकित्सालय बेमेतरा में कोरोना 19 की रोकथाम हेतु शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये कोष का अन्य कार्यों में उपयोग कर अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(51) श्री चंदन कश्यप, सदस्य, लोक निर्माण संभाग नारायणपुर द्वारा ऑफलाईन/मैनुअल निविदा में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(52) श्री अरूण वोरा, सदस्य, प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में खाद की कमी होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(53) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, कोविड 19 से मृत सफाई कर्मियों के परिवारों को फ्रंट लाईन वर्कर की तरह मुआवजा एवं अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(54) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में स्थित बीएसयूपी आवासों में निवासरत् परिवारों के आवासगृहों की मरम्मत, नाली की सफाई, चिकित्सालय, सुरक्षा एवं शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(55) श्री संतराम नेताम, सदस्य, सुकमा जिले के कुम्हाररास में साईंस पार्क एवं साईंस केन्द्र के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 6

(56) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, राजनांदगांव में संचालित खदानों के पट्टा धारकों के पर्यावरण नवीनीकरण को विलंब किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(57) सर्वश्री धरमलाल कौशिक, रजनीश कुमार सिंह, सौरभ सिंह, सदस्य, शासन द्वारा संचालित मदिरा दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(58) सर्वश्री धरमलाल कौशिक, सौरभ सिंह, रजनीश कुमार सिंह, सदस्य, भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड कोरबा द्वारा विभिन्न स्थानों पर फ्लाई ऐश डालकर वायु व जल प्रदूषण फैलाये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(59) सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में फ्लेगशीप योजना नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बारी में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(60) श्री अजय चंद्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, प्रदेश में आत्महत्या की घटनाओं में निरंतर वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(61) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जांजगीर–नैला नगर के मुख्य मार्ग में कोयले से भरे भारी वाहनों के परिचालन से प्रदूषण फैलने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(62) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य, बिलासपुर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में निजी कर्मचारियों से शासकीय कार्य कराये जाने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(63) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री नारायण चंदेल, अजय चंद्राकर, सदस्य, प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री विनय कुमार भगत, सदस्य, जिला जशपुर अंतर्गत –

(i) ग्राम सरबकोम्बो में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(ii) चम्पा, फुलझर, गुरगुरी से ईचोली मुख्य मार्ग में कनहर नदी पर पुलिया निर्माण करने,

(iii) ग्राम बांसधार–दीनामुण्डा मार्ग में बेन्दो नाले पर पुलिया निर्माण करने तथा

(2) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य, अभनपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोरपा में महाविद्यालय खोलने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

क्रमशः 7

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

सायं 5:00 बजे तक (1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–2) विधेयक, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

45 मिनट (2) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 1 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

1 घंटा (3) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 3 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

6. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट प्रदेश में कुपोषण से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की अकाल मृत्यु होने के संबंध में श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

7. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 11 मार्च, 2022 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित माननीय कृषि मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक–555) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. रमन सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

8. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

श्री मोहन मरकाम, सभापति, विशेषाधिकार समिति, प्रस्ताव करेंगे कि–विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 21 मार्च, 2022